राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11668/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
मनोज कुमार शर्मा वीपीओ, गुढानाथवतान, बूँदी,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6, विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 08-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से सुश्री परमजीत कौर, वरिष्ठ उप शासन सचिव उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 21-2-17 के द्वारा दिनांक 25-6-16 को रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र द्वारा की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की फोटो प्रति आदि के संबंध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने संशोधित अपीलोत्तर दिनांक 8-3-18 प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। यह भी निवेदन किया कि सूचना का आवेदन कार्यालय में आना नहीं पाया गया। प्रथम अपील के साथ प्रेषित सूचना के आवेदन दिनांक 21-2-17 के आधार पर गृहमंत्री कार्यालय में तलाश की गई। गृहमंत्री कार्यालय ने अवगत कराया कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित परिवाद डायरी क्रमांक 5226 दिनांक 4-7-16 के द्वारा जिला कलेक्टर बून्दी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी ने आवेदन के माध्यम से सूचना न चाह कर अपनी परिवेदना का समाधान चाहा है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत नहीं करवाया जा सकता। यह भी कहा कि इस प्रकरण में और कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 19-12-17 एवं संशोधित अपीलोत्तर दिनांक 8-3-18 प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है। अपीलार्थी वस्तुस्थिति से संसूचित है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त